


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:आदेश:—

शासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक: प. 4(3) शिक्षा-1/2019 दिनांक: 15.01.2020 की पालना में ऐसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनमें विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान, विषय के रूप में संचालित किया जा रहा था, उन विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय को संकाय के रूप में संचालित करने की स्वीकृति निदेशालय के पत्र क्रमांक: शिविरा-मा./माध्य/अ-4/संकाय-विषय/परिवर्तन/ 2019-20 दिनांक: 15.01.2020 के द्वारा जारी की गई थी। इस संबंध में यह ज्ञातव्य रहे कि जिन राउमावि में कृषि संकाय हेतु अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, उन राउमावि में विज्ञान संकाय (रसायन, भौतिक व जीव विज्ञान) के व्याख्याता ही कृषि संकाय संबंधित विषयों का अध्यापन करवाएंगे। उपर्युक्त क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)-माध्यमिक, टोंक से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नांकित राउमावि में संचालित कृषि विज्ञान विषय को कृषि संकाय में परिवर्तन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	यू-डाईस कोड	परिवर्तित कृषि संकाय में संचालित विषय
1	टोंक	देवली	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिसामपुर	08220505902	कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान व कृषि रसायन विज्ञान



(सौरम स्वामी)
आइ.ए.ए.स.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./माध्य/अ-4/कृषि/संकाय-विषय/2019-20

दिनांक:- 17/12/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
5. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
6. संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, अजमेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)-माध्यमिक, टोंक।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, टोंक।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, देवली (टोंक)।
10. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./योजना।
11. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-मा./माध्य/अ-4/नाम संशोधन/रामावि/राउमावि/2020-21

दिनांक : 17/12/2020

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-माध्यमिक,

पाली/हनुमानगढ़/सवाई माधोपुर/जोधपुर।

विषय :- क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों के नाम, स्थान आदि के संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- शासन का पत्रांक :- प. 11(1)शिक्षा-1/2019/ दिनांक 11.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रासंगिक स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार 04 राजकीय विद्यालयों के नाम, स्थान आदि में संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	क्रमोन्नति आदेश का क्रमांक व दिनांक	विद्यालय का वर्तमान नाम	विद्यालय का संशोधन उपरांत नाम	संशोधन का आधार
1.	प.11(1)शिक्षा-1/ 2013-14 दिनांक 15.05. 2013	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशननगर बैड़कलां, ग्राम पंचायत जैतारण, पं.स. -रायपुर, जिला-पाली।	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशननगर, ग्राम पंचायत बैड़कलां, पं.स.-जैतारण, जिला-पाली।	क्रमोन्नति आदेश में अंकित विद्यालय के नाम, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति में संशोधन
2.	प.11(1)शिक्षा-1/2019 दिनांक 24.12.2019	GGUPS NOWRAND DESAR, HANUMANGARH	GGUPS NOWRANG DESAR, HANUMANGARH	क्रमोन्नति आदेश में अंकित विद्यालय के नाम में संशोधन
3.	प.11(1)शिक्षा-1/2019 दिनांक 24.02.2020	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बास टोरडा, ब्लॉक बौली, जिला सवाई माधोपुर।	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बास टोरडा, ब्लॉक बौली, जिला सवाई माधोपुर।	क्रमोन्नति आदेश में अंकित विद्यालय के नाम में संशोधन
4.	प.11(1)शिक्षा-1/2019 दिनांक 07.09.2020	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरा, ग्रा.पं. सांवरा गांव, पं.स.-बाप, जिला जोधपुर।	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरा, ग्रा.पं. सांवरा गांव, पं.स. -बाप, जिला जोधपुर।	क्रमोन्नति आदेश में अंकित विद्यालय के नाम में संशोधन

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
5. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, पाली/हनुमानगढ़/सवाईमाधोपुर/जोधपुर।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा, रायपुर, जैतारण (पाली/हनुमानगढ़/बौली (सवाईमाधोपुर)/बाप(जोधपुर)।
8. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-सी/एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 11(1)शिक्षा-1/2019

जयपुर, दिनांक 11-12-2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- क्रमोन्नत विद्यालयों के नाम, स्थान आदि में संशोधन के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक : शिविरा-मा./माध्य/अ-4/ नाम संशोधन/
रामावि/ राउमावि/ 2020-21 दिनांक 22.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि निम्न सारणीनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों के नाम, स्थान आदि में संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	क्रमोन्नति आदेश का क्रमांक व दिनांक	क्रमोन्नति आदेश में अंकित विद्यालय का नाम	विद्यालय का संशोधित नाम
1		2	3
1	प. 11(1) शिक्षा-1/ 2013-14 दिनांक 15.05.2013	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशननगर बैङ्कला, ग्राम पंचायत जैतारण, पं.स. रायपुर, जिला पाली	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, किशननगर, ग्राम पंचायत बैङ्कला, पं.स. जैतारण, जिला पाली
2	प. 11(1) शिक्षा-1/ 2019 दिनांक 24.12.2019	GGUPS NOWRAND DESAR, HANUMANGARH	GGUPS NOWRANG DESAR, HANUMANGARH
3	प. 11(1) शिक्षा-1/ 2019 दिनांक 24.02.2020	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांस टोरडा, ब्लॉक बीली, जिला सवाईमाधोपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांस टोरडा, ब्लॉक बीली, जिला सवाईमाधोपुर
4	प. 11(1) शिक्षा-1/ 2019 दिनांक 07.09.2020	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावरा, ग्रा.पं. सांवरा गांव, प.स. बाप, जिला जोधपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावरा, ग्रा.पं. सांवरा गांव, पं.स. बाप, जिला जोधपुर

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

भारतेन्द्र जैन

(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. रक्षित पत्रावली।

11-12-2020
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा